

DD No. & Date : Bank Name Amount Rs.

आ. पत्र दाम ₹ 1/-



दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास राष्ट्रभाषा विशारद उत्तरार्द्ध-आवेदन-पत्र

इस चौखट में
आवेदक अपने
पासपोर्ट
(Passport)
साइज का फोटो
चिपकावें।

परीक्षा शुल्क ₹200/-

विलंब शुल्क ₹ 10/-

फ़रवरी/अगस्त सन् 201

सूचना: इसे भरने के पहले (पृष्ठ 2) सूचनाओं को जरूर पढ़ लें।

परीक्षा केन्द्र का नाम परीक्षा क्रम संख्या

1. परीक्षार्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)
अंग्रेज़ी में (in block letters)

2. जन्म की तारीख (ईस्वी सन् में) स्त्री पुरुष

3. पिता का नाम (हिन्दी में)
अंग्रेज़ी में (in block letters)

4. प्रचारक का पूरा पता (अंग्रेज़ी में) : परीक्षार्थी का पूरा पता (अंग्रेज़ी में) :
(साफ साफ लिखें। रबर स्टॉप न लगावें)

PIN PIN Ph. No. Ph. No.

5. विशारद पूर्वार्द्ध में उत्तीर्ण होने या विशारद उत्तरार्द्ध में अनुत्तीर्ण होने का विवरण :

क्र. सं. साल केन्द्र पहचान पत्र संख्या (ID No.)

इस आवेदक को वि.पू. परीक्षा के लिए मैं पढ़ा रहा/रही हूँ। पूर्व परीक्षा संबंधित सभी विवरण सही हैं।

हस्ताक्षर :

दिनांक :

पूरा नाम :

मुकाम :

चालू पहली श्रेणी प्र.प्र. सं. :

आवेदन-पत्र की पिछली तरफ दी गयी सभी शर्तें मुझे मंजूर हैं। मैंने जो विवरण आ. पत्र में दिया है वह सही है। विवरण गलत साबित हो तो मेरा आ. पत्र रद्द करने या परीक्षा फल रोकने का अधिकार सभा को है।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

The following section should be filled up by those students who have not received ID Card in VISHARAT POORVARDH EXAM.

DAKSHINA BHARAT HINDI PRACHAR SABHA, MADRAS – 600 017.

DETAILS FOR ID CARD – FEBRUARY / AUGUST 201.....

NOTE : TO BE FILLED UP IN BLOCK LETTERS

NAME OF THE STUDENT :	<input type="text"/>	AFFIX YOUR STAMP SIZE PHOTOHERE.
FATHER'S NAME :	<input type="text"/>	
DATE OF BIRTH (DD/MM/YYYY) :	<input type="text"/>	
NAME OF THE EXAM :	VISHARADH UTTARARDH	
FOR OFFICIAL PUPOSE ONLY	YEAR :	<input type="text"/>
	ENTRY No. :	<input type="text"/>



आवश्यक सूचनाएँ

1. परीक्षार्थी का नाम, विशारद-पूर्वाह्न की अंक-सूची में जैसा है, वैसा ही लिखा जाना चाहिए।
2. विशारद-पूर्वाह्न परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सही विवरण स्पष्ट रूप से देना चाहिए। ऐसा न देने पर परीक्षा-फल रोका जाएगा।
3. परीक्षा-शुल्क रु.200/- को बैंक डी.डी. के रूप में या देना बैंक, टी नगर Extension Counter या सभा के वित्त विभाग में जमा करके उसकी रसीद को आवेदन-पत्र के साथ जोड़ना चाहिए। जमा की गयी रकम न लौटायी जाएगी और न दूसरे मद में समंजन किया जाएगा। **Bank D.D. को "THE GENERAL SECRETARY, D.B.H.P. SABHA, CHENNAI"** के नाम पर ही भेजना चाहिए। **परीक्षा-शुल्क के साथ अन्य किसी प्रकार की रकम न भेजें।** D.D. संख्या, बैंक का नाम, रकम का विवरण, दिनांक आदि विवरण दर्ज पत्र में लिखकर भेजना चाहिए।
4. आवेदन-पत्र, नियत शुल्क सहित जून 15/- दिसंबर 15 तक परीक्षा-विभाग को मिलना चाहिए।
5. परीक्षा-शुल्क एक बार जमा करने पर किसी भी हालत में नहीं लौटाया जाएगा, न अगली परीक्षा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, या न दूसरी मद में समंजन किया जाएगा। ये नियम देर से आनेवाले आवेदन-पत्रों के लिए भी लागू होंगे।
6. परीक्षार्थी को पढ़ानेवाले चालू प्रथम श्रेणी के प्रमाणित प्रचारक को ही आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए। हस्ताक्षर करने के पहले पूरी तरह जाँच कर लेना ज़रूरी है कि आवेदन-पत्र के सभी खाने भरे गये हैं या नहीं और उल्लिखित विवरण सही हैं या नहीं।
7. किसी भी हालत में केन्द्र-परिवर्तन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
8. परीक्षार्थी को परीक्षा-केन्द्र में जाते समय अपना प्रवेश-पत्र ले जाना ज़रूरी है।
9. स्वीकृत केन्द्रों में परीक्षाएँ नियमानुसार चलाने का परीक्षा-विभाग आवश्यक प्रबन्ध करता है। लेकिन किसी कारण किसी केन्द्र में परीक्षा न चलायी जा सके तो उसके लिए परीक्षा-विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी हालत में परीक्षार्थी को न तो शुल्क वापस किया जाएगा, न और कोई विशेष सुविधा दी जाएगी। परीक्षार्थी इन शर्तों को मानकर ही परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र भेजें।
10. परीक्षा फल प्रकाशित होने के एक महीने के अन्दर पुनः गिनती के लिए या पुनः जाँच के लिए (विशारद के लिए और प्रवीण के लिए पुनः गिनती और पुनः जाँच की सुविधा है।) नियत आवेदन-पत्र भरकर नियत शुल्क के साथ भेजना चाहिए। नियत समय के बाद आनेवाले आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
11. नाम में या अन्य विवरण में कोई परिवर्तन करना हो तो परीक्षार्थी को नियमानुसार Notary Public से Affidavit प्राप्त कर नियत शुल्क रु.250/- के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. पूर्व परीक्षा की उत्तीर्णता का सही विवरण न देने पर परीक्षा फल रोका जाएगा। रोके गये परीक्षा फल का परिणाम प्राप्त किये बिना परीक्षार्थी को अगली परीक्षा नहीं देनी चाहिए। परीक्षा फल प्रकाशित तारीख से 45 दिनों के अंदर छात्र सही विवरण देकर परीक्षा फल प्राप्त करें। अगर कोई परीक्षार्थी रोके गये परीक्षा फल का परिणाम प्राप्त किये बिना अगली परीक्षा दें तो उन परीक्षाओं का परीक्षा फल घोषित नहीं किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी सभा की नहीं होगी। उसकी पूरी जिम्मेदारी परीक्षार्थी की ही होगी।
13. परीक्षा फल प्रकाशित तारीख से 45 दिनों के अंदर सही विवरण देकर परीक्षा फल प्राप्त करना अनिवार्य है। उक्त अवधि के बाद इस विषय में मिलनेवाले पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
14. परीक्षाएँ फरवरी और अगस्त महीनों में द्वितीय शनिवार व रविवार में संपन्न होंगी।
15. परीक्षा-फल www.dbhpscentral.org पर प्रकाशित किया जाएगा।
16. परीक्षा-फल के विषय में परीक्षा-विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा।

सचिव

परीक्षा-विभाग